15.2.22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। बहस प्रा० पत्र हल श्रवण की गई। आवेदक वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अनावेदकगण को पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा से दावा का निर्णय होने तक पाबंद किये जाने का निवेदन किया। अनावेदकगण वकील ने निवेदन किया कि विवादित भूमि को लेकर दोनों पक्षकारान में विवाद उत्पन्न हो गया है। अतः दोनों पक्षकारान को पाबंद किया जाना उचित है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। उक्त प्रार्थन का	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:20:32 IST
Reason: SelfAttested

...देश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	दावा इस न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि हक हकूक के संबंध में निर्णय तो दावे के विधिवत् सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। विवादग्रस्त भूमि को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमाबाजी व विवाद नहीं बढ़े इसके लिए आवेदकगण व अनावेदकगण दोनों ही पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है। **आदेश** आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा आवेदकगण एवं अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम बासमाना परवार हल्का भाटीवाड़ के भूमि खसरा नम्बर 78 रकबा 3.34 है०, ख०न० 87 रकबा 0.28 है०, ख०न० 92 रकबा 1.56 है० कुल किता 3 कुल रकबा 5.18 है० में मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल पुनः होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। उक्त पत्रावली मूल दावे के संलग्न रहे। [signature] 15/2/22 उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनू)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:20:32 IST
Reason: SelfAttested